

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वेषण सम्मेलन पखवाडा 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....कुरुक्षेत्र.....

दिनांक :- 27/9/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुरुक्षेत्र व भू-अभिलेख निरीक्षक उमर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुरुक्षेत्र तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 184, 109 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>कुरुक्षेत्र</u>	<u>184</u> <u>109</u>	<u>उदा पुर डाल</u> <u>कुम्हार</u>	<u>उदमराम पुर डाल</u> <u>कुम्हार</u>

(कुरुक्षेत्र)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक :- 27/09/25

क्रमांक / .....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, .....को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(कुरुक्षेत्र)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

